न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 54 / 2024

वाद बाबत घोषणात्मक हक

1. अरविन्द पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट साकिन अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. कुलदीप पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट साकिन अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. रामेश्वर लाल पुत्र नेतराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. भारतीय स्टेट बैक, गीता भवन, कोर्ट रोड, शाखा संगरिया
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–
1. श्री कुलदीप मूण्ड –वकील वादीगण
2. श्री संतोष सोलकी –वकील प्रति.सं. 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :– 18-6-2024

वादीगण उमेश कुमार वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 21.02.2024 को इस न्यायालय में पेश किया। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपना रजिस्टर्ड पता वाद पत्र के शीर्षक मे सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पेश कर अंकित किया है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 आपस में संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त हिन्दू परिवार की विरासतन कृषि भूमि है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम तहसील संगरिया के चक नं. 16 ए.एम.पी. के खाता सं. 48 / 17 में कुल 3.542 है. में से 1.771 है. हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड है।

उक्त खाता की कृषि भूमि की जमाबन्दी सलंग्न वाद पत्र है। उक्त खाता की [illegible] का विवरण निम्न प्रकार से हैं :–

चक	खाता सं.	ज.सं.	कृषि भूमि
16 ए.एम.पी.	48 / 17	2071–74	3.542 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.26 16:50:40
Reason: SelfAttested

वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की विरासतन आराजी है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है किन्तु उक्त चक नं. 16 ए.एम.पी. के खाता सं. 48/17 में कुल 3.542 है. में से 1.771 है. कृषि भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त समस्त कृषि भूमि का घरू बंटवारा हो चुका है जिसमें चक नं. 16 ए.एम.पी. के खाता सं. 48/17 में कुल 3.542 है. में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1.771 है. में से वादीगण का 1/2 हि. यानि 1.180 है. कृषि भूमि का ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर एवं प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम कर 0.591 है. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। वादीगण को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश हुआ। प्रति.सं. 2 की तलबी पूर्व में हो चुकी है इसके बावजूद न्यायालय में हाजिर नही आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 3 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा पैतृक सम्पति के साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक नं. 16 ए.एम.पी. खाता सं. 48/17 जं.सं. 2071–74 की प्रति पेश हुई। साक्ष्य वादी में वादी सं. 2 कुलदीप का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रति.सं. 1 वादीगण के पिता है जो कि एक हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादपत्र के चरण सं. 3 मे वर्णित कृषि भूमि प्रति.सं. 1 को विरासतन प्राप्त हुई इसलिए वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित हैं। साक्ष्य में जमाबन्दी चक नं. 16 ए.एम.पी. खाता सं. 48/17 जं.सं. 2071–74 पेश हुई। प्रति.सं. 1 ने सहमति का जवाब दावा पेश किया, कोई विरोध नही है। मुताबिक वादपत्र डिक्री किया जावे। बहस में प्रति.सं. 1 के अभिभाषक ने जवाबदावा अनुसार वादपत्र डिक्री करने की सहमति दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वकील वादी ने पैतृक कृषि भूमि अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.26 16:50:4
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादपत्र में वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक नं. 16 ए.एम.पी. खाता सं. 48/17 जं.सं. 2071–74 प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। उक्त आराजी विरासतन सम्पति है जिस पर वादीगण का जन्म से ही हक वा हिस्सा बनता है। प्रति.सं. 1 का सहमति का जवाबदावा पेश होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति का जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि तहसील संगरिया के चक नं. 16 ए.एम.पी. के खाता सं. 48/17 में कुल 3.542 है. में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1.771 है. में से वादीगण को 1/2 हि. यानि 1.180 है. कृषि भूमि का ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम कर 0.591 है. राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे।

आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.6.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh
Meena
Date: 2024.06.26 16:50:40
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 54/2024

1. अरविन्द पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट साकिन अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. कुलदीप पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट साकिन अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. रामेश्वर लाल पुत्र नेतराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. भारतीय स्टेट बैक, गीता भवन, कोर्ट रोड, शाखा संगरिया
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणात्मक हक

दिनांक :– 18.6.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप सिंह मूण्ड वकील वादी व श्री संतोष सोंलकी अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में यह डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक नं. 16 ए.एम.पी. के खाता सं. 48/17 में कुल 3.542 है. में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1.771 है. में से वादीगण को 1/2 हि. यानि 1.180 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम कर 0.591 है. राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे।

आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X...खर्चा मुकदमें [illegible] शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X... [illegible]

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.6.2024 को जारी [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.26 16:50:4
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official